

संख्या ८/५/१९८-के०से०-॥

भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक ४ मार्च, १९९९

कायार्लिय ज्ञापन

विषय:- मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्तियों- उपरी आयु सीमा, शैक्षणिक तथा तकनीकी अर्हताओं में छूट संबंधी ।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर, इस विभाग के दिनांक १४.१.९४ के काठगोल० ८/३/९२-के०से०-॥ के पैरा १२ में निहित अनुदेशों का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग ने, मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में स्टाफ नियुक्ति हेतु, उपरी आयु सीमा तथा तदनुरूप पदों हेतु टैक्षण्य तथा आशुलिपिक गति सहित शैक्षणिक अर्हताओं में छूट देने संबंधी आपले का एजरायलोकन करके, इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री की सहमति से, निम्नलिखित नियम लिए हैं :-

(१) मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में, स्टाफ नियुक्तियों हेतु उपरी आयु सीमा में छूट संबंधी प्रस्तावों में इस विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा ।

(२) मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ के लिए, शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यताओं में, कोई छूट नहीं देय होगी ।

(३) वित्त मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्तियों करते समय, उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाए ।

८/५/१९९९

एच०एस०धीमान०

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

१. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
२. प्रधानमंत्री कायार्लिय (श्री छत्तर सिंह, निदेशक) उनकी दिनांक १०.१२.९८ की अ०वि०सं० ६६/३१/सी०/४८/९७-स्था०-॥ के संदर्भ में ।
३. व्यय विभाग, ई०जी०ब्रांच, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।